कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः 1447 /16–29 (जलागम दर्पण)/2018–19 दिनांकः 04/12/, 2018

"निविदा सूचना"

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा त्रैमासिक पत्रिका "**जलागम दर्पण**" की निविदा प्रकाशन हेतु निम्न विशिष्टियों के अनुसार प्रति पृष्ठ की दर से प्रिंटिग कार्य करवाने हेतु दिनांक **26–12–2018** को अपराह्न **3.30** बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से निविदा आंमत्रित की जाती है। जो कि उसी तिथि को सांय **4.00** बजे परियोजना निदेशक (प्रशासन) जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून द्वारा अधिकृत अधिकारियों के सम्मुख खोली जायेगीं । निविदा खुलते समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है । निदेशालय द्वारा निर्धारित शर्ते पूर्ण करने वाली फर्मे दिनांक 21.12.2018 की सांय 2.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र रू0 100/– +जी0एस0टी0 का भुगतान कर निदेशालय से प्राप्त कर सकते है । फर्मो द्वारा प्रेषित निविदायें, निदेशालय से क्रय किये गये रू0 100.00 के प्रपत्र पर ही मान्य होगीं । वित्तीय एवं तकनीकी निविदा के अलग–अलग सीलबन्द लिफाफे को एक बडे लिफाफे के अन्दर प्रेषित करना होगा, निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा से संबंधित पूर्ण विवरण/शर्ते जलागम विभाग की वेबसाईट **www.wmduk.gov.in** से देखी जा सकती है।

क्र0 सं0	विवरण	मात्रा अनुमानित	दर (जी0एस0टी0सहित)
1.	त्रैमासिक पत्रिका "जलागम दर्पण" कम्पलीट प्रिंटिग कर तैयार करना । page Specifiaction page of Size : 8"x11.75" Thickeness of page: 170 gsm Quality of page : magno matt Other Specifiaction Cover page: laminated, Special UV Coating Printing : Multicolour Binding : Centre Pin Miscellaneous. : Coating to be done in all Pages	- 3000-3500 प्रतियां त्रैमासिक पत्रिकायें, – प्रति पत्रिका के अनुमानित पृष्ठ 24–36	प्रति पृष्ठ दोनो तरफ प्रिंटिग सहित

निविदा की शर्ते

1.. निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्ते इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में रू0 100.00+जी0एस0टी0 भुगतान कर दिनांक 21.12.2018 की सांय 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। निविदा दिनांक 26.12.2018 की सांय 3.30 बजे तक मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालौनी, देहरादून कार्यालय में पंजीकृत /स्पीड पोस्ट डाक से पहुंच जानी चाहिए। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा ।

2. फर्मो द्वारा प्रेषित निविदायें, निदेशालय से क्रय किये गये रू0 100.00 के प्रपत्र पर ही मान्य होगीं ।

3. निविदादाता फर्म द्वारा प्रेषित 'तकनीकी' एवं 'वित्तीय' निविदा अलग–अलग सीलबन्द लिफाफें में प्रेषित करनी होगी तथा लिफाफे के बाहर "तकनीकी" एवं "वित्तीय" निविदा स्पष्ट रूप से लिखा जाये।

4. दोनो सीलबन्द लिफाफे एक बडे लिफाफे के अन्दर रखकर प्रेषित किये जायें तथा उस लिफाफे के ऊपर "जलागम दर्पण प्रिटिंग हेतु निविदा" लिखा होना आवश्यक है।

5. निविदादाता फर्म द्वारा तकनीकी निविदा में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार वांछित सूचना पूर्ण न होने की स्थिति में संबंधित फर्म की वित्तीय निविदा नही खोली जायेगी ।

6. प्रतियों की संख्या 3000–3500 प्रति त्रैमास या संयुक्तांक त्रैमास अंक आवश्यकता के अनुसार घट बढ सकती है ।

7. निविदादाताओं को यह परामर्श दिया जाता है, कि वे जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून उत्तराखण्ड, कार्यालय में आकर कार्य को भली भांति समझ लें ताकि निविदा भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कार्य की दशाओं, विशेष विवरण, आवश्यकताओं आदि से परिचित कर लिया गया है।

9. निविदा के सम्बन्ध में पक्ष समर्थन (Convassing) करने का कड़ा निषेध है और ऐसी निविदादाता की निविदा स्वीकृत कराने का जो प्रयत्न करेगें, अस्वीकृत कर दिये जायेगें।

10. नियमानुसार जी0एस0टी0 व आयकर की कटौती की जायेगी, यदि कोई अन्य कर देय होगा तो वह प्रकाशक को स्वयं देना होगा ।

11. निविदा का आंकलन न्यूनतम दर पर ही निर्धारित किया जायेगा ।

12. स्वीकृत निविदादाताओं को अधोहस्ताक्षरी आपूर्ति आदेश देने हेतु बाध्य नहीं होगें ।

13. निविदादाता फर्म द्वारा विगत तीन वर्षो का औसत वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम रु0 50.00 लाख होना आवश्यक है ।

14. निविदादाता फर्म को विगत तीन वर्षो की सी.ए. द्वारा ओडिटेड बैंलेस सीट संलग्न करना अनिवार्य है।

15. निविदादाता फर्म को पत्रिका, वार्षिक रिपोर्ट, न्यूजलेटर आदि की Multicolour रिपोर्ट के प्रकाशन का अनुभव होना आवश्यक है, साक्ष्य स्वरूप फर्म को प्रकाशित न्यूज लैटर अथवा सम–वर्गीय प्रकाशन की उत्कृष्ट प्रति संलग्न करनी आवश्यक है ।

16. निविदादाता फर्म को निविदा के साथ धरोहर राशि रु0 10,000.00 (दस हजार) का डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक के रूप में, जो कि परियोजना निदेशक (प्रशासन) जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम निरूपित हो, संलग्न करना आवश्यक है । जिन फर्मों द्वारा पूर्व में प्रेषित निविदा के साथ धरोहर राशि का ड्राफ्ट संलग्न किया गया है उन फर्मो को पुनः धरोहर राशि का डाफ्ट संलग्न नही करना है पूर्व में संलग्न धरोहर राशि मान्य होगी ।

17. सफल निविदादाता फर्म को आपूर्ति आदेश से पूर्व जमानत राशि रू0 30,000.00 (तीस हजार) का डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक के रूप में, जो कि परियोजना निदेशक प्रशासन देहरादून के नाम निरूपित हो, जमा करना होगा ।

18. निविदा खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने पर कोटेशन अगली तिथि को खोले जायेगें।

19. निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0 / व्यापार कर में पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकृत प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।

20. बिल का भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा, जिसके लिए बिल में पैन नम्बर, टैन नम्बर, अकांउट नम्बर, बैंक का नाम, आई.एफ.एस. कोड, मोबाईल नम्बर, अंकित करना अनिवार्य है।

21. सफलतम निविदादाता फर्म को आपूर्ति आदेश के पश्चात 15 दिन के अन्दर आपूर्ति करनी होगी ।

22. निविदादाता फर्म द्वारा संलग्न प्रकाशकों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये ही निविदा पर अन्तिम विचार किया जायेगा ।

23. प्रिटिंग हेतु अनुमोदित/स्वीकृत दरें निविदा स्वीकृति होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये आमंत्रित की जाती है ।

24. सफलतम निविदादाता फर्म को समस्त पत्रिका की डिजाईनिंग आदि कार्य स्वयं करना होगा, पत्रिका का मैटर/फोटो आदि इस निदेशालय से दिये जायेगें ।

25. निविदादाता फर्म को निविदा संलग्न प्रारूप (Format) में ही देना होगा ।

26. निविदादाता फर्म को राज्य/केन्द्र सरकार के शासकीय/अर्द्वशासकीय विभाग द्वारा Black List नहीं होना चाहिये । Black List न होने का शपथ पत्र देना होगा ।

27. निविदादाता फर्म को प्रिटिंग की दरें जी0एस0टी0 सहित प्रति पृष्ठ (दोनों तरफ प्रिटिंग सहित) देनी होगी, प्रति सैकडा व प्रति हजार की दर मान्य नहीं होगी ।

परियोजना निदेशक (प्रशासन),
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंजीकृत/स्पीडपोस्ट/ई–मेल से प्रेषित
पत्रांकः 1447/16 29/16-29 / दिनांकित ।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, देहरादून ।
2. जिला परिषद, देहरादून ।
3. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून ।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड ।

परियोजना निदेशक (प्रशासन)
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।